

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

गाजीपुर ।

पत्रसंख्या-

सो0मी0-

स0कार्य-03/2024

दिनांक 09/03//2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 08.03.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01-स्वाट/सर्विलास व थाना नोनहरा पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए जिले के टाप-10 अपराधी सहित कब्जे से लूट के 01 लाख 06 हजार रुपया व 02 अदद देशी तमंचा .315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अदद मिस फायर शुदा कारतूस .315 बोर व 01 अदद घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाईकिल सुपर स्प्लेन्डर के साथ 03 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 02.03.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 28/24 धारा 392 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त गण 1.ओमप्रकाश उर्फ बक्सी पुत्र स्व0 रामनाथ बिन्द निवासी गोडा देहाती थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र- 27 वर्ष 2. विष्णु कश्यप उर्फ सूर्या पुत्र शिवशंकर कश्यप निवासी काशीराम कालोनी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर (आदर्श गाँव) हाल पता लाल दरवाजा विनोद सिंह का मकान थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर 3. सूरज डोंम पुत्र शिव डोंम निवासी ग्राम बयेपुर देवकली थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर हालपता माल गोदाम रोड़ थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र- 20 वर्ष को मुखबीर खास की सूचना पर थानाध्यक्ष नोनहरा श्री कमलेश कुमार मय हमराह द्वारा बौरी पुल से दिनांक 07.03.2024 को समय 18.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के पास से 02 अदद देशी तमंचा .315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अदद मिस फायर शुदा कारतूस .315 बोर व 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल व मुकदमा उपरोक्त मे लूटी गयी रकम 01 लाख 06 हजार रुपया बरामद हुआ। अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग लूट व छिनैती के लिए कई दिनों से रेकी कर रहे थे किन्तु सफल नहीं हो पा रहे थे दिनांक 02.03.2024 को हम लोगो द्वारा सही रेकी करके ग्राम खोजापुर में लूट की घटना को अंजाम दिये हम लोगो द्वारा और भी कई चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. ओमप्रकाश उर्फ बक्सी पुत्र स्व० रामनाथ बिन्द (जिले का टाप-10 अपराधी) निवासी गोडा देहाती थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र- 27 वर्ष
2. विष्णु कश्यप उर्फ सूर्या पुत्र शिवशंकर कश्यप निवासी काशीराम कालोनी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर (आदर्श गाँव) हाल पता लाल दरवाजा विनोद सिंह का मकान थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
3. सूरज डोंम पुत्र शिव डोम निवासी ग्राम बयेपुर देवकली थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर हालपता माल गोदाम रोड़ थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र- 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

- 1 . ओमप्रकाश उर्फ बक्सी पुत्र स्व० रामनाथ बिन्द निवासी गोडा देहाती थाना कोतवाली गाजीपुर
- 1.मु०अ०सं० 342/21 धारा 392 भा०द०वि० थाना कासिमाबाद गाजीपुर ।
- 2.मु०अ०सं० 118/22 धारा 3(1) उ०प्र०गैग्रेस्टर एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर ।
- 3.मु०अ०सं० 281/19 धारा 3(1) उ०प्र०गैग्रेस्टर एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर ।
- 4.मु०अ०सं० 392/18 धारा 302/394/411 भा०द०वि० थाना कोतवाली गाजीपुर ।
- 5.मु०अ०सं० 446/18 धारा 380/411/457 भा०द०वि० थाना कोतवाली गाजीपुर ।
- 6.मु०अ०सं० 451/18 धारा 379/411/419/420/467/468 भा०द०वि० थाना कोतवाली गाजीपुर ।
- 7.मु०अ०सं० 452/18 धारा 392/411/413/414 भा०द०वि० थाना कोतवाली गाजीपुर ।
- 8.मु०अ०सं० 493/21 धारा 392/411 भा०द०वि० थाना कोतवाली गाजीपुर ।
- 9.मु०अ०सं० 496/21 धारा 392/411 भा०द०वि० थाना कोतवाली गाजीपुर ।
- 10.मु०अ०सं० 579/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर ।
- 11.मु०अ०सं० 1090/15 धारा 356 भा०द०वि० थाना कोतवाली गाजीपुर ।
- 12.मु०अ०सं० 2138/15 धारा 380 भा०द०वि० थाना कोतवाली गाजीपुर ।
- 13.मु०अ०सं० 2215/15 धारा 392 भा०द०वि० थाना कोतवाली गाजीपुर ।
- 014.मु०अ०सं० 3870/17 धारा 41/411/413/414/468/471 भा०द०वि० थाना कोतवाली गाजीपुर ।
- 15.मु०अ०सं० 134/18 धारा 307/411 भा०द०वि० थाना खानपुर गाजीपुर ।
- 16.मु०अ०सं० 135/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना खानपुर गाजीपुर ।
- 17.मु०अ०सं० 28/24 धारा 392 भा०द०वि० थाना नोनहरा गाजीपुर ।
- 18.मु०अ०सं० 29/24 धारा 420/411 भा०द०वि० व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नोनहरा गाजीपुर ।

2 . विष्णु कश्यप उर्फ सूर्या पुत्र शिवशंकर कश्यप निवासी काशीराम कालोनी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर (आदर्श गाँव) हाल पता लाल दरवाजा विनोद सिंह का मकान थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

1. मु0अ0सं0 199/23 धारा 3(1) उ0प्र0गैरेस्टर एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर ।
2. मु0अ0सं0 216/22 धारा 379/411/413 भा0द0वि0 थाना कोतवाली गाजीपुर ।
3. मु0अ0सं0 287/21 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली गाजीपुर ।
4. मु0अ0सं0 616/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली गाजीपुर ।
5. मु0अ0सं0 621/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली गाजीपुर ।
6. मु0अ0सं0 622/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली गाजीपुर ।
7. मु0अ0सं0 623/22 धारा 41/411/413/414/419/420/465/468/471 भा0द0वि0 थाना कोतवाली गाजीपुर ।
8. मु0अ0सं0 260/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना नन्दगंज गाजीपुर ।
9. मु0अ0सं0 28/24 धारा 392 भा0द0वि0 थाना नोनहरा गाजीपुर ।
10. मु0अ0सं0 29/24 धारा 420/411 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नोनहरा गाजीपुर ।

3 . सूरज डोम पुत्र शिव डोम निवासी ग्राम बयेपुर देवकली थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर हालपता माल गोदाम रोड़ थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र- 20 वर्ष

1. मु0अ0सं0 28/24 धारा 392 भा0द0वि0 थाना नोनहरा गाजीपुर ।
2. मु0अ0सं0 29/24 धारा 420/411 भा0द0वि0 थाना नोनहरा गाजीपुर ।

बरामदगी

1. 02 अदद देशी तमंचा .315 बोर
2. 04 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. 01 अदद मिस फायर सुदा कारतूस .315 बोर
4. घटना में प्रयुक्त 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेन्डर UP 61 W 3960
5. मु0अ0सं0 28/24 धारा 392 भा0द0वि0 में लूटी गयी रकम 01 लाख 06 हजार रुपये ।

02-थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा दिनांक- 07.03.2024 को गैर जनपद मऊ के 02 शातीर अभियुक्तगण को 05 किग्रा 700 ग्राम नाजायज गाँजा व 01 अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 07.03.2024 को थानाध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह मय हमराह के पुलिस बहद ग्राम बरहपुर पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनो की चेकिंग कर रहा था कि चोचकपुर की तरफ से एक मोटर साइकिल आती हुयी दिखायी दिया । जिसे नजदीक आने पर उसे टार्च की रोशनी देकर रुकने को ईशारा किया गया तो हम पुलिस वालों को देखकर घबरा गया तथा अचानक ब्रेक मारकर पीछे की तरफ मुडकर भागना चाहा कि उसे पुलिस बल की सहायता से मौके पर ही घेर घारकर पकड़ लिया गया ।

जो कि गैर जनपद मऊ के शातीर किस्म के अपराधी अजीत यादव पुत्र महातम यादव निवासी ग्राम रुकम जालिब थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ व रोशन यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी ग्राम खुर्दकर्मि थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ । अभियुक्त गण के कब्जे से 05 किग्रा 700 ग्राम नाजायज गाँजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल लगभग 1.5 लाख रुपये) व अभियुक्त रोशन यादव पुत्र महातम यादव निवासी ग्राम रुकम जालिब थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 32/2024 धारा 8/20 NDPS Act व 3/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त गण अजीत यादव पुत्र महातम यादव निवासी ग्राम रुकम जालिब थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ व रोशन यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी ग्राम खुर्दकर्मि थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ से गहनता से पूछताछ किया गया तो बता रहे हैं कि हम लोग गाँजा को बिहार प्रान्त से खरीद कर उचित मूल्यो व्यापार करते हैं । अधिक धन कमाने के लालच में ये सब काम कई वर्षों से हम लोग कर रहे हैं

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. अजीत यादव पुत्र महातम यादव निवासी ग्राम रुकम जालिब थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 28 वर्ष ।
2. रोशन यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी ग्राम खुर्दकर्मि थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष ।

अभियुक्तगण के गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- गांगी पुलिया बहद ग्राम बरहपुर, दिनांक 07.03.2024 समय 21.30 बजे ।
बरामदगी –

1. कुल 05 किग्रा 700 ग्राम नाजायज गाँजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल लगभग 1.5 लाख रुपये)
2. एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
3. एक अदद सुपर स्पेण्डर मोटर साईकिल नम्बर UP54Q 3219

अपराधिक इतिहास

रोशन यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी ग्राम खुर्दकर्मि थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष ।

1. मु0अ0सं0 36/2020 धारा 307, 399, 402, 411, 419, 420 भा0द0वि0 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवा जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 131/2020 धारा 392, 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 172/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 07/2023 धारा 307, 504 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0 08/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
6. मु0अ0सं0 63/2023 धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
7. मु0अ0सं0 173/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
8. मु0अ0सं0 189/2019 धारा 323, 504, 506 भा0द0वि0 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
9. मु0अ0सं0 218/2021 धारा 323, 504, 506 भा0द0वि0 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
10. मु0अ0सं0 60/2023 धारा 392, 411 भा0द0वि0 थाना रानीपुर जनपद मऊ

11. मु0अ0सं0 68/2023 धारा 307, 411 भा0द0वि0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना रानीपुर जनपद मऊ
12. मु0अ0सं0 155/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैरेस्टर एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ
आपराधिक इतिहास
. अजीत यादव पुत्र महातम यादव निवासी ग्राम रुकम जालिब थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 28 वर्ष ।
1. मु0अ0सं0 218/2021 धारा 323, 504, 506 भा0द0वि0 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 07/2023 धारा 307, 504 भा0द0वि0 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर